सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	अग्रहायण *18, बुधवार,* शाके 1942–*दिसम्बर 9, 2020* *Agrahayana 18, Wednesday, Saka 1942-December 9, 2020*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

श्रम विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 9, 2020

संख्या एफ 8(1)रा.मे.से.रि./आई.आर./श्रम/01/पार्ट-1 :-न्यूनतम वेतन अधिनियम, 1948 (XI of 1948), की धारा-13 की उपधारा 1 के क्लॉज (a) सपठित विक्रय संवर्धन (सेवा शर्ते) अधिनियम, 1976 (XI of 1976), की धारा-6 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में राजस्थान राज्य के दवा क्षेत्र के विक्रय संवर्धन कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार द्वारा कार्य के घण्टे निर्धारित करने के लिए समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 27.08.2020 जिसका प्रकरण दिनांक 01.10.2020 को राजस्थान राजपत्र विशेषांक भाग 1(ख) में हुआ है, के अनुसरण में प्राप्त आपत्तियों एवं सुझावों पर विचार किये जाने के पश्चात राज्य सरकार नगर निगम, नगर परिषद एवं नगर पालिका क्षेत्रों में राज्य के दवा विक्रय संवर्धन कर्मचारियों के लिए कार्य के घण्टे निम्नानुसार निर्धारित करती हैः

कार्य के घण्टे

प्रातः 10:00 से शाम 4:00 बजे तक तथा शाम 6:00 बजे से 8:00 बजे तक (जिसमें प्रातः 10:00 से 11:00 एक घण्टा तैयारी व लिखित कार्य के लिए व 3:00 से 4:00 एक घण्टा भोजन अवकाश)	नगर निगम क्षेत्र जयपुर (ग्रेटर/हेरिटेज), जोधपुर(उत्तर/दक्षिण), कोटा(उत्तर/दक्षिण), उदयपुर, बीकानेर, अजमेर, भरतपुर व नगर परिषद क्षेत्र अलवर।
प्रातः 11:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक (जिसमें प्रातः 11:00 से 12:00 एक घण्टा तैयारी व लिखित कार्य के लिए व 3:00 से 4:00 एक घण्टा भोजन अवकाश)	राजस्थान के उपरोक्त नगर निगम/नगर परिषद क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य सभी नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों में।

राज्यपाल के आदेश से,

पतंजलि भू,
अतिरिक्त श्रम आयुक्त एवं
पदेन संयुक्त शासन सचिव
राज0, जयपुर।